तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या— 59/2014 एल.आर. एक्ट
(GCMS No. 2014/00037)

अनवानः

1. चन्दन सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति रायसिख साकिन 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलांट

बनाम

1. सुल्तानाराम पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

......रेस्पोडेंट्स

27.05.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार—बार आवाज लगाई गई, बार—बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 9 व 16 के निमित सही पता अंकित कर सम्मन एवं 10 व 12 के मृत्यु प्रमाण पत्र मय वारिसान सूची प्रस्तुत करने हेतु लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार—बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं कियें है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को सुनाया गया।

27/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर